

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)


क्रमांक:- २२९/१२

दिनांक :- 14-06-2018

--:: कार्यालय आदेश ::--

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 504-510 दिनांक 24.04.2018 के द्वारा बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए दिनांक 24.06.2018 को श्री मोहनलाल जाट-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को अधिकृत किया गया था किन्तु उक्त अधिकारी महोदय के उक्त दिवस को ग्रीष्मावकाश पर होने से पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 24.06.2018 को राजकीय अवकाश होने से बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए श्री मोहनलाल जाट-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के स्थान पर श्री शारिक हुसैन-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां (मो0नंबर 9828080831) को अधिकृत किया जाता है।

अतः बारां न्यायिक क्षेत्र के उक्तानुसार आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 24.06.2018 को मुख्यावास बारां पर उपलब्ध श्री शारिक हुसैन-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां के समक्ष पेश हो तथा उपरोक्तानुसार श्री शारिक हुसैन-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त अवकाश में उक्तानुसार कार्य सम्पादन हेतु अपने मुख्यावास पर उपलब्ध रहें।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :- १५७

दिनांक :- 14.6.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
2. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. श्री मोहनलाल जाट-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
4. श्री शारिक हुसैन-न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website - ecourts.gov.in/baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)